राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1579/2025

सोनू कुमार शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 24.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, कैवियटर

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वनपाल के पद पर कार्यालय उपवन संरक्षक, दौसा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर में किया गया है। आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर किसी अन्य कार्मिक का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। वर्तमान में अपीलार्थी का पद रिक्त है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान पर किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.04.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण अग्रिम आदेशों तक रेंज सिकराय में पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.06.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन रेंज सिकराय से नाका लांका (प्रभारी) रेंज सिकराय किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण 07 माह की अल्पावधि में वन विभाग के स्थानान्तरण नीति दिनांक 24.04.2021 के बिन्दु संख्या 1.1 का उल्लंघन करते हुए एक जिले से दूसरे जिले में किया

गया है, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा भगवान दास मित्तल बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश के विपरीत जाकर किया गया है। जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में वनपाल के पद पर कार्यालय उपवन संरक्षक, दौसा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया। अतः आलोच्य आदेश में कोई नियमों का उल्लंघन या दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। अपीलार्थी को उसी जिले में पदस्थापन किया गया। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। इस प्रकार आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)